ऑन लाईन नं.RCMS2024/156

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 38/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

–विक्रेता प्रोपराईटर–

1. श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार
   मै0 महादेव इंडस्ट्रीज, एफ227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर।
2. मै. महादेव इंडस्ट्रीज, एफ227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/58

दिनांक : 27.12.2024

निर्णय

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15.12.2023 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक–आयुक्त./खासुऔनि/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः– आयुक्त./खासुऔनि/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.04.2024 को समय दोपहर 02.30 पीएम बजे को **मै0 इंडस्ट्रीज, एफ227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर** जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेमकुमार(विक्रेता प्रोपराईटर)** को अपना परिचय देकर संस्थान के अंदर रखे **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** जार पैक के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** के 500 एमएल जार पैक के 3 कार्टूनों में कुल 108 नग को इकाई पर सप्लाई/बेचान हेतु होना बताया। **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेमकुमार(विक्रेता प्रोपराईटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेमकुमार(विक्रेता प्रोपराईटर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति0 जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** 500 एमएल के 4 मूल पैक को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** का नगद भुगतान 319/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** के पैक जार के 4 नमूने तैयार कर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–2265** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2265** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेमकुमार(विकेता प्रोपराईटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./491/Act/2024/491 Dated 03-05-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2265 Contravenes of Regulation Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेमकुमार(विकेता प्रोपराईटर) व मै0 महादेव इंडस्ट्रीज, एफ227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता राजेश लूणा ने वकालतनाम प्रस्तुत किया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि परिवादी द्वारा परिवाद की मद सं. 1 में उनके द्वारा अंकित नियुक्ति की तिथि एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में उक्त खाद्य सुरक्षा के पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत होने की परिवादी को जानकारी नहीं है। अवश्यक साक्ष्य परिवाद से पेश करवाई जावे। परिवाद की मद सं. 2 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवाद की मद सं. 3 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा ईकाई पर बेचान नहीं किया जाता है। परिवाद द्वारा मौका पर अप्रार्थी को फार्म नं. 5ए भरकर नहीं दिया बल्कि परिवादी के स्टाफ ने अप्रार्थी सं. 1 को डरा धमकाकर खाली फार्मों व कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। परिवादी ने इस तथ्य का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया कि अप्रार्थीगण की ओर से तथाकथित इडेबल आयल किसी फर्म को सप्लाई या बेचान किया था या किया जाना था। परिवाद की मद सं. 4 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा फार्म नं.5ए ना तो मौका पर भरा गया तथा ना ही अप्रार्थी अथवा गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी के स्टाफ ने अप्रार्थी सं. 1 को डरा धमकाकर खाली फार्मों व कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। परिवाद की मद सं. 5 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी के स्टाफ ने बिना किसी राशि भुगतान किए अप्रार्थी सं. 1 को डरा धमकाकर केश मीमो बनवाई थी और अप्रार्थी सं01 को कहा था कि परिवादी बहुत बड़े अधिकारी हैं, मगर उनके अनुसार काम ना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अप्रार्थी सं. 1 की उपस्थिमि में कैश मीमो पर मौका पर गवाहान के हस्ताक्षर नहीं किए। परिवाद की मद सं. 6 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी व उनके स्टाफ द्वारा मौका पर नमूने तैयार नहीं किए गए तथा ना ही लेबल चिपका कर हस्ताक्षर आदि गए तथा ना ही कोई नमूना सील चपड़ी किया गया। परिवादी व उनके स्टाफ ने सारी कार्यवाही ऑफिस में जाकर की गई है। अप्रार्थी के जिस खाली कागजों पर विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर करवाए थे उनको कांट छांट कर उनका दुरूप्योग कर विधि विरूद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया है। परिवाद की मद सं. 7 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी व उनके द्वारा स्टाफ द्वारा मौका पर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा ना ही किसी ऐसी रिपोर्ट को अप्रार्थी अथवा गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। परिवाद की मद सं. 8 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवाद की मद सं. 9 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा विधि के अनुसार नमूने एफएसएल नहीं भिजवाए जिस कारण एफएसएल की रिपोर्ट सही नहीं आई। परिवाद की मद सं. 11 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। बाजार में अप्रार्थीगण से प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्यमियों की बातों में आकर एवं उन उद्यमियों से सांठ–गांठ कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठा परिवाद, परिवादी द्वारा पेश किया गया है, जो कि खारिज किए जाने योग्य है। जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद असथ्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Edible Oil(Family Lite Premium Quality)** का सैम्पल **K-2265** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–: L.S./491/Act/2024/491 Dated 03-05-2024 द्वारा **Contravenes of Regulation Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि बाजार में अप्रार्थीगण से प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्यमियों की बातों में आकर एवं उन उद्यमियों से सांठ–गांठ कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठा परिवाद, परिवादी द्वारा पेश किया गया है, जो कि खारिज किए जाने योग्य है। जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Edible Oil " bearing Code No and Sr. No. K-2265, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Contravenes of Regulation No.2.12.1(3) of Food Safety and Standards (Porhibition and Restrictions on sales) Regulations, Act-2011 as Category or Sub-category of food not mentioned.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेमकुमार(विकेता प्रोपराईटर) व मै0 महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेमकुमार(विकेता प्रोपराईटर) व मै0 महादेव इंडस्ट्रीज, एफ227 बी उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत राशि रूपये **30,000–00 (अखरे रूपये तीज हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना) 27/12/2024
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर